बिहार विधान परिषद् सचिवालय

अधिसूचना

अधिसूचना स.-वि.प.स्था.- 07/2025 (नी.वि.)- 2012(2) /वि.प., पटना। दिनांक:- 11-07-2025

बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के नियम 3 के उप नियम (क) एवं (ख) के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों में सभापति, बिहार विधान परिषद् वित्त विभाग के परामर्श से बिहार विधान परिषद् सचिवालय के प्रशासनिक संवर्ग, स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग, चालक संवर्ग एवं संदेशवाहक/मैसेंजर संवर्ग में पदों की संख्या में वृद्धि हेतु बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2018 की अनुसूची- 1 में निम्नवत् संशोधन करते हैं:-

(1) अनुसूची- 1 के प्रशासनिक संवर्ग के क्र.सं.- 2 निदेशक के स्वीकृत बल कॉलम में '02(दो)' के स्थान पर '05 (पांच)' प्रतिस्थापित किया जाता है।

(2) अनुसूची- 1 के प्रशासनिक संवर्ग के क्र.सं.- 3 उप सचिव के स्वीकृत बल कॉलम में '11 (ग्यारह)' के स्थान पर '13 (तेरह)' प्रतिस्थापित किया जाता है।

(3) अनुसूची-1 के प्रशासनिक संवर्ग के क्र.सं.- 4 अवर सचिव के स्वीकृत बल कॉलम में 24 (चौबीस)' के स्थान पर '27 (सत्ताईस)' प्रतिस्थापित किया जाता है।

(4) अनुसूची- 1 के स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग के क्र.सं.- 9 प्रधान आप्त सचिव के स्वीकृत बल कॉलम में '2 (दो)' के स्थान पर '3 (तीन)' प्रतिस्थापित किया जाता है।

(5) अनुसूची- 1 के स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग के क्र.सं.- 10 आप्त सचिव के स्वीकृत बल कॉलम में '5 (पांच)' के स्थान पर '7 (सात)' प्रतिस्थापित किया जाता है।

(6) अनुसूची- 1 के स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग के क्र.सं.- 11 निजी सहायक के स्वीकृत बल कॉलम में '9 (नौ)' के स्थान पर '14 (चौदह)' प्रतिस्थापित किया जाता है।

(7) अनुसूची- 1 के स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग के क्र.सं.- 12 आशुलिपिक के स्वीकृत बल कॉलम में '20 (बीस)' के स्थान पर '27 (सत्ताईस)' प्रतिस्थापित किया जाता है।

(8) अनुसूची- 1 के चालक संवर्ग के क्र.सं.- 31 चालक के स्वीकृत बल कॉलम में '20 (बीस)' के स्थान पर '27 (सत्ताईस)' प्रतिस्थापित किया जाता है।

(9) अनुसूची- 1 के संदेशवाहक/मैसेंजर संवर्ग के क्र.सं.- 32 कार्यालय परिचारी के स्वीकृत बल कॉलम में '138 (एक सौ अड़तीस)' के स्थान पर '153 (एक सौ तिरेपन)' प्रतिस्थापित किया जाता है।

तदनुरूप अनुसूची- 1 की कंडिका- 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 31 एवं 32 निम्नवत् होगी:-

क्र.	पदनाम	वर्गीकरण	वेतनमान (सातवां वेतन आयोग के अनुशंसा के आधार पर)	पदों को भरे जाने का अनुपात		बहाली की रीति तथा नियुक्ति हेतु अर्हता	स्वीकृत बल
				प्रोन्नति	सीधी भर्त्ती		
				प्रशासनिक संवर्ग			
2.	निदेशक	समूह- क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर- 13	100%	--	बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता।	05 (पांच)

3.	उप सचिव	समूह- क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-12	100%	--	बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता।	13 (तेरह)
4.	अवर सचिव	समूह- क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-11	100%	--	बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता।	27 (सत्ताईस)
स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग							
9.	प्रधान आप्त सचिव	समूह- क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-11	100%	--	बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता।	03 (तीन)
10.	आप्त सचिव	समूह-ख राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-9	100%	--	बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता।	07 (सात)
11.	निजी सहायक	समूह-ख अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-7	50%	50%	बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता।	14 (चौदह)
12.	आशुलिपिक	समूह- ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-4	--	100%	बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता।	27 (सत्ताईस)
चालक संवर्ग							
31.	चालक	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-2	--	100%	बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता।	27 (सत्ताईस)

संदेशवाहक/मैसेंजर संवर्ग							
32.	कार्यालय परिचारी	समूह- ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-1	--	100%	खुली लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन उन प्रत्याशियों के बीच से जो मैट्रिक पास हो और हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषओं का कार्यसाधक ज्ञान हो तथा साईकिल चलाने की क्षमता हो।	153 (एक सौ तिरेपन)

शेष यथावत रहेगा।

सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से,

11/7/25

(अखिलेश कुमार झा)
सचिव
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- वि.प.स्था.- 07/2025 (नी.वि.)-2013(2) वि.प., पटना, दिनांकः- 11-07-2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले.एवं ह.), बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना / प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना / प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/7/25

(अखिलेश कुमार झा)
सचिव
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- वि.प.स्था.- 07/2025 (नी.वि.)-2013(2) वि.प., पटना, दिनांकः- 11-07-2025

प्रतिलिपि- अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार को सी.डी. एवं दो हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 (एक सौ) प्रतियां परिषद् सचिवालय को उपलब्ध करायी जाय।

11/7/25

(अखिलेश कुमार झा)
सचिव
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- वि.प.स्था.- 07/2025 (नी.वि.)-2013(2) वि.प., पटना, दिनांकः- 11-07-2025

प्रतिलिपि- सभी निदेशक / सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद्/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद्/ माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव एवं सचिव, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नवीन 11-07-25

(नवीन कुमार मिश्र)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्।